बातचीत के बिंदु-28

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

खेतीहर मजदूर

खेती की पैदावार में खेतीहर मजदूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। चाहे वे खाद्यपदार्थ हों या व्यापारिक फसलें देश की मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 14.43 करोड़ थी। यह देश के कुल कामगारों का एक तिहाई (1/3) और ग्रामीण मेहनतकशों का 55 प्रतिशत है। लगातार चल रहे कृषि संकट के कारण छोटे और मझौले किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है,और वे खेतीहर मजदूरों की जमात में शामिल हो रहे हैं। इस वजह से खेतीहर मजदूरों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। 2001 और 2011 बीच धीरे–धीरे यह संख्या 3.69 करोड़ बढ़ी।

खेतीहर मजदूर अक्सर भूमिहीन होते है। लेकिन इनमें छोटे और मझौले किसान भी होते हैं जो अपनी छोटी सी जमीन से गुजर बसर नहीं कर पाते और दूसरो की जमीन पर काम करने के लिए विवश होते है। यह लोग पगार (वेतन) पर मजदूरी करते है लेकिन सारी मजदूरी रुपए पैसे में नहीं मिलती।

खेती में सामान काम के दिनों में धीरे –धीरे कमी आती जा रही है। खबरों के अनुसार यह अभी साल में तीस दिन से कम है। जबसे केन्द्र में बीजेपी सरकार आई है मनरेगा के काम के दिनों में भी कटौती हुई है। इसी कारण से खेतीहर मजदूर कसबों व शहरों में काम की तलाश में पलायन के लिए विवश हो रहे हैं। यह लोग पहले से लाखो मजदूर जो अनऔपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं की फौज में शामिल होते है जिनको काम, आमदनी और सामाजिक सुरक्षा नहीं है। खेतीहर मजदूरों की आधी संख्या दलित और आदिवासी है।

खेतीहर मजदूर जो देश की खेतीबाड़ी की पैदावार में अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत ही गरीब है भुखमरी के शिकार है गम्भीर व कठिन परिश्रम करते है, सामाजिक उत्पीड़न के शिकार व अभाव की जिन्दगी जी रहे है। उनकी पगार बहुत कम है। महिला मजदूरों को पुरुषों से कम पगार मिलती है।

खेतीहर मजदूरों की अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है जिनको मातृत्व लाभ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी, की प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत केवल 6000 रुपये मिलते हैं यह नुकसान का आंशिक हिस्सा है और वो भी पहले बच्चे के लिए ही है। यह जानते हुए कि मातृत्व लाभ कानून खेतीहर मजदूरों पर लागू नहीं होता और उन्हें 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलता है जोकि आंशिक क्षतिपूर्ती है जो मात्र 33 रुपये प्रतिदिन पड़ता है। यह भी बहुत सी शर्तों के साथ मिलता है जिसको बहुतायत महिलाएं पूरा नहीं कर पाती और उनको यह लाभ भी नहीं मिलता। इसका अंजाम यह होता है कि महिलाओं को गर्भावस्था की देर तक और प्रसूति के फौरन बाद काम पर लौटना पड़ता है। उनके लिए क्रेच का प्रबन्ध नहीं है। छोटे बच्चों को या तो परिवार के बड़े बूढ़ो के पास या फिर बड़े बच्चों के पास छोड़ना पड़ता है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि खेतीहर मजदूरों की महिलाएं और बच्चों की बहुतायत कुपोषण के शिकार होते है।

खेतीहर मजदूरों की यूनियन व संगठन उनके लिए एक व्यापक कानून की मांग करते आ रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो भी सलाह मशवरा हुआ, सीटू ने खेतीहर मजदूरों के वेतन, काम की शर्ते और सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाने पर जोर दिया था।

लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी सरकार अभी तक ऐसा कानून बनाने में असफल रही। खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा लागू करने के प्रशासन के अभाव में केवल कागजों पर रह जाते है।

खेतीहर मजदूरों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग जमीन के लिए है। भूमिसुधार और जमीन के बटवारे से न केवल उन्हें आमदनी का स्रोत देगा बल्कि उनको सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इससे एक बहुत बड़े तबके की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे मांग बढ़ेगी और इससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलने से रोजगार भी पैदा होंगे। भूस्वामियों के हित साधने वाली सरकार भूमि सुधार के लिए तैयार नहीं। आजकल के भूमि सीमा कानून के तहत 5.19 एकड़ भूमि कानूनी तौर पर अतिरिक्त (सरपलस) है। लेकिन इसमें से केवल 61 लाख एकड़ को सरकारी तौर से अतिरिक्त घोषित किया गया, इसमें से केवल 51 लाख एकड़ को भूमिहीन परिवारों को दिया गया। इसमें से अधिकतर पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की वामपंथी सरकारों ने वांटा है।

केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकारें भूस्वामियों के हितो को बचाने के लिए काम करती रही है बाकी खेतीहर मजदूरों के हालात सुधारने के लिए। उनका रूझान भूमि सुधारों को लागू करने और खेतीहर मजदूरो के लिए एक प्रभावी कानून बनाने में भी प्रकट होता है जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन व अन्य लाभ मिल सके।

सभी सरकारों का यह दावा करना कि वे देश के गरीबों की दशा सुधारने के लिए योजनाएं व प्रोग्राम बना रहे है जैसे कि रिहायशी मकान, खाद्यसुरक्षा पेंशन व सामाजिक सुरक्षा आदि लेकिन इनके लिए धन का आवंटन बहुत ही कम रहा है। बीजेपी की सरकार का सभी लाभों के आधार से जोड़ने की शर्त में खेतीहर मजदूरों के परिवारों पर बहुत ही जुल्म ढाया है।

जब से नवउदारवादी नीतियों का परचलन हुआ है केन्द्र सरकार व गैरवामपंथी राज्य सरकारें लगातार गरीबों की लाभकारी योजनाओं के लिए फंड में कटौती कर रही है। केन्द्र सरकार ने आई सी डी एस योजना, राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन और मिड–डे –मील इत्यादि के लिए फंड में भारी भरकम कटौती की है। सरकार के इस कृत्य से खेतीहर मजदूरों के परिवारों पर कुप्रभाव पड़ा है।

5 सितम्बर, 2018 की मजदूर किसान रैली खेतीहर मजदूरों की इन अमानवीय शोषण और सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ है। यह सरकार नवउदारवादी नीतियों को लागू करते हुए बड़े कारपोरेट व भूस्वामियों को गरीबों की कीमत पर धन इकट्ठा करने के कार्य कर रही है। इस रैली के माध्यम से हम भारत सरकार को भूमिसुधार करके भूमि का बटवारा,खेतीहर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाने के लिए बाध्य करेंगे। यह केवल खेतीहर मजदूरों की मांग नहीं है। यह एक पैमाना है जिससे देश की और देश के लोगों की अनवरत तरक्की होगी। इसके लिए नवउदारवादी नीतियों को पलटना बहुत जरुरी शर्त है।

संयुक्त संघर्ष करो

- जो सरकार 0.1 पतिशत के लिए काम करती है के खिलाफ
- जो नीतियां 99.9 प्रतिशत के लिए है उनके लिए